राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.28( )परावि/प्रशा.2/ग्रा.से.भर्ती/पार्ट/2017/4717 जयपुर,दिनांकः 13/2/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् – समस्त।

विषयः नव नियुक्त ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिवों के पदस्थापन/प्रशिक्षण बाबत ।

आपको विदित ही है कि विभाग को अब तक कुल 3206 नव चयनित ग्राम सेवक नियुक्ति हेतु प्राप्त हो चुके है तथा विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में उनका आवंटन जिलों की रिक्तियों के अनुरूप कर दिया गया है। अब तक आप द्वारा इन नव पदस्थापित कार्मिकों को पंचायत समिति आवंटन अवश्य कर दिया होगा, ऐसी अपेक्षा की जा रही है। पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 336(26) के अनुसार ग्राम सेवकों की नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जावे कि उन्हें उनकी गृह पंचायत में पदस्थापित नहीं किया जायेगा। अगर किसी विकास अधिकारी ने नियुक्ति देते समय उक्त नियम का ध्यान नहीं रखा है तो वे तत्काल त्रुटि सुधार का कार्य करें। यह भी सुनिश्चित किया जावें कि बिना चिकित्सा परीक्षण/पुलिस वेरीफिकेशन के किसी भी नव नियुक्त कार्मिक को पदस्थापन/नियुक्ति नहीं दी जावें।

राज्य स्तर से नव नियुक्ति ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जयपुर के माध्यम से की जा रही है। ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण सत्र जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह में प्रारम्भ होने की आशा है। प्रशिक्षण सत्र लगभग 15 दिवस का रहेगा। ग्राम सेवक के राजकीय दायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा उनमें काफी बड़ी धनराशि के लेनदेन एवं हिसाब–किताब रखने के आर्थिक मामले भी सम्मिलित है। इस परिस्थिति में यह विशेष ध्यान रखा जावें कि समुचित प्रशिक्षण से पूर्व उक्त नव नियुक्त कार्मिकों को स्वतंत्र कार्यभार नहीं दिया जावें। अतः यह निर्देश दिये जाते है कि प्रशिक्षण पूर्ण करने तक ग्राम सेवकों को स्वतंत्र कार्यभार न दिया जाकर उन्हें पंचायत समिति के अनुभवी ग्राम सेवकों, पंचायत प्रसार अधिकारियों एवं स्वयं विकास अधिकारियों के साथ राजकीय नियम/प्रक्रियाओं को समझने हेतु अटैच (attach) रखा जावें। ग्राम सेवकों का पंचायत समितिवार विभिन्न अधिकारियों के साथ अनुभव/ज्ञान प्राप्त करने का यह कार्यक्रम मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने पर्यवेक्षण में तैयार करवाना सुनिश्चित करें। विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर वे इस बाबत एक विस्तृत कार्यक्रम पंचायत समितिवार तैयार करावें कि पंचायत समिति को आवंटित समस्त नव नियुक्त ग्राम सेवक किस–किस अवधि तक किस–किस अधिकारी के साथ रहेंगे। नव नियुक्त कार्मिकों की संख्या अधिक होने पर अनुभवी अधिकारियों के साथ उन्हें रोटेशन से भी रखा जा सकता है। प्रशिक्षण पूर्ण होने तक रिक्त पदों का कार्यभार पूर्ववत की गई

Scanned by CamScanner

व्यवस्था के अनुसार ही रखा जावें। उक्त नव नियुक्त ग्राम सेवकों को अगर ग्राम पंचायत का आवंटन कर भी दिया गया है तो भी उन्हें कार्यभार न सौपा जाकर पूर्ववत व्यवस्था सुनिश्चित रखी जावें। उक्त नियुक्त कार्मिकों का वेतन पंचायत समिति में रिक्त पड़े पदों के विरूद्व आहरित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जावें कि नव नियुक्त कार्मिक को उन्हें आवंटित की गई ग्राम पंचायत में स्वतंत्र कार्यभार विधिवत प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् ही दिया जावें।

निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावें।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सहायक, शासन उप सचिव(विधि), पंचायती राज विभाग।
8. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रशिक्षण), पंचायती राज मुख्यालय।
9. डॉ. अनीता, संयुक्त निदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान।
10. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति– समस्त।
12. प्रोग्रामर, पंचायती राज मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner